



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 68]
No. 68]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 14, 2008/माघ 25, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2008/MAGHA 25, 1929गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 87(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) नियम, 2008 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- “अधिनियम” से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है ;
- “बटालियन” से केन्द्रीय परा सैनिक बल द्वारा बटालियन के रूप में निश्चित की गई उस बल की यूनिट अभिप्रेत है ;
- “केन्द्रीय परा सैनिक बल” से निम्नलिखित के अधीन गठित केन्द्रीय परा सैनिक बल अभिप्रेत है,—
 - केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) ;
 - सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) ;

(iii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) ; या

(iv) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) ;

(घ) “राष्ट्रीय प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) “राष्ट्रीय आपदा मोचन बल” से अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. बल का गठन.—(1) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं. 1/15/2002-डीएम-1/एनडीएम-III(ए), तारीख 19 जनवरी, 2006 द्वारा केन्द्रीय परा सैनिक बलों से प्रतिनियुक्त कार्मिक को इन नियमों के अधीन राष्ट्रीय मोचन बल में प्रतिनियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, जब भी अपेक्षित हो, आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय परा सैनिक बलों से, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में आपदा से निपटने और उसके प्रबंधन कौशल, क्षमताएं और अर्हताएं तथा अनुभव और ऐसी अन्य तकनीकी अर्हताएं, रखने वाले उतने कार्मिकों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाए प्रतिनियुक्त कर सकेंगी ; परन्तु अपेक्षित तकनीकी अर्हता और अनुभव रखने वाले कार्मिकों की

अनुपलब्धता की दशा में, केन्द्रीय सरकार, अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्त के माध्यम से या सविधा के आधार पर ऐसे कार्मिकों को नियुक्त कर सकेगी।

(3) इन नियमों के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में प्रतिनियुक्त किए गए बटालियन के कार्मिक, ऐसी बटालियन में सामान्यता पांच वर्षों की अवधि के लिए रहेंगे :

परन्तु बल के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक कार्मिकों को एक वर्ष में प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

4. बल का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण.—(1) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की कमान और पर्यवेक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक में निहित होंगे।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का महानिदेशक राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा और वह उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

5. उत्तरदायित्व, प्रशिक्षण, कौशल, कर्तव्य आदि.—राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को, आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए एक विशिष्ट बल के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और लैस किया जाएगा।

6. सेवा की शर्तें.—(1) सेवा के निबंधन और शर्तों को, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय परा सैनिक बलों से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में प्रतिनियुक्त किए गए कार्मिकों की सेवा के निबंधन और शर्तों जिनके अंतर्गत कार्मिकों से संबंधित अनुशासनिक शक्तियां भी हैं, अधिनियम के उपबंधों और संबंधित बल और उसकी सेवाओं को लागू नियमों द्वारा विनियमित होती रहेंगी।

(2) नियम 3 के उप-नियम (2) के परंतुक के अधीन नियुक्त कार्मिकों की सेवा के निबंधन और शर्तों, जिनके अंतर्गत उनसे संबंधित प्रशासनिक शक्तियां भी हैं, ऐसे नियमों द्वारा, जो उसी श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं, शासित होंगे।

[फा. सं. 31-10/2006-एनडीएम-II]

प्रभाशु कमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2008

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) read with sub-section (1) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Disaster Management (National Disaster Response Force) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "battalion" means a unit of the Central Para Military Force earmarked by that Force as a battalion;

(c) "Central Para Military Forces" means the Central Para Military Forces constituted under,—

(i) the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949);

(ii) the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968);

(iii) the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968); or

(iv) the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992);

(d) "National Authority" means the National Disaster Management Authority established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(e) "National Disaster Response Force" means the National Disaster Response Force constituted under sub-section (1) of Section 44 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of Force.—(1) The personnel deputed from the Central Para Military Forces by the Central Government in the Ministry of Home Affairs *vide* Order number 1/15/2002-DM-I/NDM-III(A), dated the 19th January, 2006 shall be deemed to have been deputed in the National Disaster Response Force under these rules.

(2) The Central Government may, in consultation with the National Authority, depute, as and when required, such number of personnel from the Central Para Military Forces to the National Disaster Response Force for the purposes of disaster management, having skills, capabilities and qualifications and experience of handling disaster and their management and such other technical qualifications as prescribed by the Central Government in this behalf:

Provided that in the case of non-availability of personnel with the required technical qualification and experience, the Central Government may appoint such personnel through deputation from other organizations or on contract basis.

(3) The personnel of a battalion deputed to the National Disaster Response Force under these rules shall remain ordinarily in such battalion for a period of five years :

Provided that not more than twenty-five per cent of the Force may be replaced in one year.

4. Superintendence, direction and control of Force.—

(1) The general superintendence, direction and control of the National Disaster Response Force shall vest in, and be exercised by, the National Authority.

(2) The command and supervision of the National Disaster Response Force shall vest in the Director General of the National Disaster Response Force to be appointed by the Central Government.

(3) The Director General, National Disaster Response Force shall report to, and be under the administrative control of, the Vice-Chairman of the National Authority.

5. The responsibility, training, skill, duties, etc.—

The National Disaster Response Force shall be trained and equipped as a specialised force to carry out the disaster management related tasks and for dealing with threatening disaster situations or disaster.

6. Conditions of service.— (1) The terms and conditions of service including disciplinary powers relating to the personnel deputed from the Central Para Military Forces to the National Disaster Response Force shall continue to be regulated by the provisions of the Act and the rules applicable to the respective Force and its services.

(2) The terms and conditions of service including disciplinary powers relating to the personnel appointed under the proviso to sub-rule (2) of rule 3 shall be governed by such rules as are applicable to the officers and employees of the Central Government of the same grade.

[F. No. 31-10/2006-NDM-II]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.